



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 2738/2020

1 – जितेंद्र कुमार झा, पिता दिगंबर झा, 35 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 1-बी/135, विश्रामपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।, जिला : सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, कृषि के माध्यम से, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़।, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – निदेशक कृषि विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।, जिला : रायपुर, (छ.ग.)

3 – अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गोपनीय) विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक संख्या-1, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।, जिला : रायपुर, (छ.ग.)

4 – अतिरिक्त निदेशक (कृषि), कृषि निदेशालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।, जिला : रायपुर, (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण



याचिकाकर्ता हेतु :श्री घनश्याम कश्यप, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री संतोष सोनी, शासकिय अधिवक्ता।

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

01/04/2025

सुना गया है।

1. याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है जिसमें उत्तरवादी संख्या 2 - निदेशक, कृषि द्वारा जारी दिनांक 01.06.2020 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद से हटा दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया है कि याचिकाकर्ता को शुरू में उत्तरवादी कृषि विभाग द्वारा दिनांक 7-5-2008 के आदेश के तहत दो साल की परीवीक्षा अवधि पर "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता ने 20-5-2008 को अपनी सेवा शुरू की है। 102 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादियों ने न तो याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि का आदेश जारी किया और न ही परीवीक्षा अवधि विस्तार का आदेश जारी किया। उत्तरवादी कृषि विभाग में 11 वर्ष से अधिक सेवा करने के पश्चात अचानक वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता को दिनांक 29-3-2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपना आपराधिक रिकार्ड छुपाया है, अर्थात् उसके विरुद्ध दं. प्र. सं. कि धारा 151, 107 और 116 के तहत पंजीकृत इशतगाशा संख्या 30/49/2001 और भा.दं. सं. की धारा 341, 294, 506-बी, 323, 147, 148 और 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 155/2011 का एक अन्य



दाण्डिक प्रकरण दर्ज है, जिसमें उसे आरोप पत्र भी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी-6 के तहत उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया, लेकिन उसके जवाब पर विचार किए बिना और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच किए बिना, उसे आक्षेपित आदेश के तहत सेवा से हटा दिया गया है। इससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर इसे चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि का औपचारिक आदेश उत्तरवादी -विभाग द्वारा पारित नहीं किया गया था, लेकिन उसने उत्तरवादी -कृषि विभाग में 11 वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है, इसलिए उसकी सेवा की पुष्टि मानी जाती है, इसलिए याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अपनी सेवा को संरक्षित करने का हकदार है और औपचारिक जांच किए बिना याचिकाकर्ता को सेवा से हटाकर उसके विरुद्ध बड़ा दंड पारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 20.05.2008 को जब याचिकाकर्ता ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सेवा में शामिल हुआ, तो उसके द्वारा ऐसा कोई घोषणा/सत्यापन फॉर्म भरने की मांग नहीं की गई थी। प्रथम बार, अक्टूबर 2011 में अर्थात् परीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात, उन्हें ऐसा घोषणा पत्र (अनुलग्नक आर-1) उनके द्वारा भरे जाने के लिए दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि घोषणा पत्र (अनुलग्नक आर-1) प्रदान करते समय, प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा उनसे कहा गया कि उन्हें सेवा में आने की तिथि तक अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताना है, इसलिए, उन्होंने 21.06.2011 को पुलिस स्टेशन विश्रामपुर, जिला सूरजपुर में पंजीकृत अपराध क्रमांक 155/2011 तथा सीआरपीसी की धारा 151, 107 तथा 116 से संबंधित इशतगाशा क्रमांक 30/49/2001 के बारे में खुलासा नहीं किया, जो कि निवारक कार्रवाई से संबंधित है तथा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इस प्रकार, यह नैतिक अधमता से संबंधित अपराध नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध संख्या 155/2011 के तहत आपराधिक मामला 21.06.2011 को पंजीकृत किया गया था, अर्थात् उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के काफी बाद में, इसलिए उक्त आपराधिक मामले के बारे में खुलासा न करना, उन्हें सेवा से हटाने का आधार नहीं हो सकता, वह भी बिना किसी विभागीय जांच के। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य 1 {कंडिका 17} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2 के मामले में दोहराया और उसका पालन किया है। उन्होंने आगे कहा कि



उपरोक्त दाण्डिक प्रकरण का निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा 07.09.2014 के आदेश के तहत किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के साथ-साथ मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (इसके बाद, "नियम, 1966") में निहित प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, इसलिए इसे अपास्त किया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को आगे बताया कि इस न्यायालय द्वारा 15.07.2020 को दिए गए स्थगन आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मांगी गई राहत उन्हें दी जाए।

5. उत्तरवादी - राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अपना रिटर्न दाखिल किया है कि याचिकाकर्ता के उक्त पद पर शामिल होने से पहले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 116 के तहत एक इशतगाशा संख्या 30/49/2001 दर्ज थी। उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात याचिकाकर्ता के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उसके विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 341, 294, 506-बी, 323, 147, 148 एवं 325 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 155/2011 के तहत एफआईआर दर्ज की गई तथा उसके अनुपालन में उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया, इसके बावजूद जब उसके द्वारा उत्तरवादी-विभाग में घोषणा पत्र दिनांक 23.10.2011 (अनुलग्नक आर-1) एवं दूसरा घोषणा पत्र (अनुलग्नक आर-4) दिनांक 24.09.2015 (अनुलग्नक आर-4) भरा गया, उस समय उसने न तो अपने विरुद्ध दर्ज इशतगाशा के बारे में बताया और न ही अपने विरुद्ध दर्ज दाण्डिक प्रकरण के बारे में। इस प्रकार, उन्होंने घोषणा पत्र भरते समय आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में छुपाया और इस तरह याचिकाकर्ता ने 7.5.2008 (अनुलग्नक पी-2) के अपने नियुक्ति आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि यदि शासकिय कर्मचारी के विरुद्ध दो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, तो उसे इस तरह के रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें ग्रामीणों/किसानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं और उन्हें उनके कृषि कार्य के बारे में सुझाव देने होते हैं। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने नियुक्ति आदेश दिनांक 07.05.2008 (अनुलग्नक पी-



2) की शर्त क्रमांक 1 और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी दिनांक 20.12.2007 के निर्देश (अनुलग्नक पी-4) का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक इतिहास को छिपाकर रोजगार प्राप्त किया है, इसलिए उसे सेवा से हटाने के लिए उसके खिलाफ नियमित विभागीय जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज आपराधिक अपराध अनुलग्नक पी-4 (याचिका के पृष्ठ क्रमांक 27) की अनुसूची 'ए' में दिए गए "नैतिक अधमता" से संबंधित था, इसलिए आरोपित आदेश में कोई विकृति या अवैधता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय को वर्तमान याचिका में हस्तक्षेप करना चाहिए।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा तर्क और संलग्न दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

8. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को दिनांक 07.05.2008 के आदेश द्वारा प्रतिवादी कृषि विभाग द्वारा "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने 20-5-2008 को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किया। यद्यपि, याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि के संबंध में उत्तरवादी कृषि विभाग द्वारा कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया है, लेकिन राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि कर्मचारी की पुष्टि के संबंध में उचित अवधि के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो उसे स्थायी कर्मचारी माना जाएगा। याचिकाकर्ता को उत्तरवादी -कृषि विभाग में 11 वर्ष से अधिक सेवा देने के बाद उसकी सेवा से हटा दिया गया था, इसलिए उसे उत्तरवादी -कृषि विभाग का स्थायी सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए।

9. इस स्तर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सरकारी कर्मचारी को दी गई सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:---

"311. संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पद में कमी -

(1) xxx xxx xxx



(2) उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति को, जांच के पश्चात् ही बर्खास्त किया जाएगा, हटाया जाएगा या पद में कमी की जाएगी, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों की जानकारी दे दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो:

परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई ऐसा दंड लगाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसा दंड ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड के संबंध में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि यह खंड निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा -

(क) जहां किसी व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर पदच्युत या हटाया जाता है या पद में अवनत किया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत या हटाने या पद में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जिसे उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ऐसी जांच करना युक्तिसंगत रूप से साध्य नहीं है; या

(ग) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।"

10. अनुच्छेद 311 का मूल उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना है तथा संघ और राज्यों के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित व्यक्तियों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, हटाने और पद में कमी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण की गारंटी देना है। प्रावधान दो स्तर है-

(क) उस प्राधिकारी द्वारा हटाए जाने या बर्खास्तगी के विरुद्ध जिसके द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी, तथा

(ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना कर्मचारी को जांच में सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्तगी, हटाए जाने और पद में कमी के विरुद्ध।



11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) द्वारा परिकल्पित जांच को सामान्यतः विभागीय जांच के रूप में जाना जाता है और अनुच्छेद 311(2) के अर्थ में उचित जांच के लिए संवैधानिक आवश्यकता मूलतः दो स्तर है-

(i) सिविल सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और (ii) उसे उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्रयुक्त "बर्खास्त" और "हटाए गए" शब्दों का दायरा मोती राम ढेका बनाम महाप्रबंधक, नॉर्थ ईस्टर फ्रंटियर रेलवे 3 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें न्यायाधीश सुब्बा राव ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए लेकिन अलग राय में व्यक्त किया है कि उक्त शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति के कार्यालय की सेवाओं की समाप्ति से अधिक या कम कुछ नहीं है। किसी को उसके पद से बर्खास्त या हटाने का प्रभाव उसे उस पद से मुक्त करना है यानी सेवा की समाप्ति लाना है। किसी व्यक्ति को उसके पद से बर्खास्त या हटाने का प्रभाव उसे उस पद से मुक्त करना है, अर्थात् उसकी सेवा समाप्त करना। इस प्रकार, उक्त शब्द सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति को समझते हैं। अनुच्छेद 311(2) इस प्रकार यह निर्धारित करता है कि सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पहले उसे ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि उक्त अभिव्यक्ति पर कोई सीमा लगाने का कोई निर्णय नहीं है। उक्त सीमा को लागू करने का प्रयत्न न तो अनुच्छेद में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों द्वारा और न ही दिए गए कारणों द्वारा वारंट किया गया है। यदि ऐसी सीमाएं आयातित हैं, तो यह एक असाधारण परिणाम की ओर ले जाएगा कि एक सरकारी कर्मचारी, जो कदाचार का दोषी है, एक उचित अवसर का हकदार होगा, जबकि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी को बिना किसी ऐसे संरक्षण के बर्खास्त किया जा सकता है। एक स्थायी पद पर मूल ग्रहणाधिकार रखने वाले सरकारी कर्मचारी को उचित अवसर दिए बिना उक्त पद से नहीं हटाया जा सकता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत परिकल्पित है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी पद पर बने रहने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसी कोई कार्यवाही की जानी आवश्यक हो, तो सरकार द्वारा आवश्यक सावधानी और सतर्कता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो कि सरकारी कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए है, जैसा कि भारत



के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत परिकल्पित है। कंडिका 67 और 68 में निम्नानुसार देखा गया है: ---

“67. इसलिए, चाहे “बर्खास्तगी” और “हटाने” शब्दों के प्राकृतिक और शब्दकोश अर्थ को अपना लिया गया हो या नियम 49 द्वारा उन शब्दों को दिए गए सीमित अर्थ को स्वीकार कर लिया गया हो, परिणाम, जहां तक एक स्थायी कर्मचारी का संबंध है, वही होगा, अर्थात्, स्पष्टीकरण में उल्लिखित तीन श्रेणियों के बाहर एक सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के मामले में, यह संविधान के अनुच्छेद 311 के अर्थ के भीतर बर्खास्तगी या निष्कासन होगा, इस अंतर के साथ कि पूर्व में बर्खास्त कर्मचारी भविष्य के रोजगार से अयोग्य नहीं होगा और बाद में आमतौर पर वह ऐसे रोजगार से अयोग्य होगा।

68. यदि ऐसा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी स्थायी सेवक की सेवाएं, जो स्पष्टीकरण में उल्लिखित तीन श्रेणियों से बाहर हैं, समाप्त कर दी जाती हैं, तो वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत संरक्षण का हकदार होगा।”

13. याचिकाकर्ता एक स्थायी सरकारी कर्मचारी था। उसे अपने मूल पद पर बने रहने का अधिकार था। पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ 4 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसे कर्मचारी की सेवा समाप्ति मात्र उसे सेवा से 'हटाने' या 'बर्खास्तगी' के रूप में माना जाएगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 311(2) के तहत गारंटीकृत संवैधानिक संरक्षण और सुरक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत निहित प्रावधानों का पालन किए बिना एकतरफा तरीके से नहीं छीना जा सकता है।

14. जय शंकर बनाम राजस्थान राज्य 5 के मामले में, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचारार्थ यह प्रश्न आया था कि क्या जोधपुर सेवा विनियमों के अंतर्गत निहित प्रावधान सरकार को किसी व्यक्ति को उस दण्ड के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिए बिना, यदि कोई हो, सेवा से हटाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं, और इसका नकारात्मक उत्तर दिया गया था कि विनियमन में किसी व्यक्ति की छुट्टी की अवधि से अधिक अवधि तक रुकने के लिए दण्ड शामिल है और कारण बताकर पुनः बहाली सुनिश्चित करने का भार पदधारी पर डाला जाता है और सरकार किसी व्यक्ति को कम से कम यह बताए बिना कि वे



उसे हटाने का प्रस्ताव रखते हैं और उसे कारण बताने का अवसर दिए बिना कि उसे क्यों न हटाया जाए, सेवा से हटाए जाने का आदेश नहीं दे सकती है। इसे आगे निम्नानुसार देखा गया है:---

6. ... निष्कासन तो निष्कासन है और यदि यह किसी की छुट्टी से अधिक समय तक रुकने के लिए दंड है तो उस व्यक्ति को अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश प्रस्तावित है, चाहे विनियमन इसे कैसे भी वर्णित करे। कोई अवसर न देना अनुच्छेद 311 के विरुद्ध जाना है और यही यहाँ हुआ है।

7. हमारे निर्णय में, जय शंकर अपनी छुट्टी से अधिक समय तक रुकने पर सेवा से प्रस्तावित निष्कासन के विरुद्ध कारण बताने का अवसर पाने का हकदार था और चूँकि उसे ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए सेवा से उसका निष्कासन अवैध था। वह इस घोषणा का हकदार है।"

15. इसी प्रकार, देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 6 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सेवक को अवसर दिए बिना पांच साल तक लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत पारित सेवा समाप्ति का आदेश अवैध होगा।

16. जय शंकर (सुप्रा) और देवकीनंदन प्रसाद (सुप्रा) में निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों का सर्वोच्च न्यायालय के उनके माननीय न्यायाधीशों द्वारा असम राज्य बनाम अक्षय कुमार देब 7 के मामले में अनुमोदन के साथ पालन किया गया है, जिसमें विचारणीय प्रश्न इस प्रकार था:— "7. निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी की सेवाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना असम फंडामेंटल एंड सब्सिडियरी रूल्स के नियम 18 के तहत समाप्त किया जा सकता है?"

17. जय शंकर (सुप्रा) और देवकीनंदन प्रसाद (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उनके माननीय न्यायाधीशों ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:---

"14. अब इस मामले में, आरोपित आदेश प्रतिवादी की सहमति के विरुद्ध किया गया था, जो हमेशा से सेवा में बने रहने के लिए इच्छुक रहा है। उसका मामला यह है कि अपनी छुट्टी की समाप्ति के बाद वह ड्यूटी



पर आया और अपनी फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन उसे मनमाने ढंग से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से 13 सितंबर, 1956 के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी गई। वास्तव में उसका तर्क यह है कि इन परिस्थितियों में, मौलिक अधिकार 18 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 311(2) की संवैधानिक आवश्यकता के अलावा, प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की मांग है कि उसे अपने तर्क को पुष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। तथ्य यह है कि अवसर दिए जाने पर, वह अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति की परिस्थितियों का गंभीरता से विरोध करता, जिसके आधार पर आपत्तिजनक कार्रवाई की गई है।

17. भले ही यह मान लिया जाए कि मौलिक अधिकार 18 के तहत सेवा समाप्ति से पेंशन आदि जैसे पहले से अर्जित लाभों की जब्ती नहीं होती है, तब भी यह अनुच्छेद 311(2) द्वारा परिकल्पित 'हटाने' की श्रेणी से उसे बाहर नहीं ले जाएगा। उत्तरवादी एक स्थायी सरकारी कर्मचारी था। उसे अपने मूल पद पर बने रहने का अधिकार था। पुरुषोत्तम लाल ढींगरा के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण के अनुसार, ऐसे कर्मचारी की सेवा की समाप्ति मात्र, इसके अलावा और कुछ नहीं, उसे सेवा से 'हटाने' या 'बरखास्तगी' के रूप में माना जाएगा, जो अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत आता है। इसलिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से, सेवा की विवादित समाप्ति केवल इसलिए सेवा से 'हटाने' के रूप में समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसे मौलिक अधिकार 18 के वाक्यांशविज्ञान में सेवा की 'समाप्ति' के रूप में वर्णित या घोषित किया गया है। अनुच्छेद 311(2) द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा को "इस तरह से एक तरफ हवा द्वारा" नहीं छीना जा सकता है। 21. उपर्युक्त कथन वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है। अनुपस्थिति की अवधि की लंबाई को छोड़कर, जय शंकर के मामले (सुप्रा) में विनियमन 13 की बुनियादी विशेषताएं अब विचाराधीन मौलिक अधिकार 18 के समान ही थीं। विनियमन 13 में "अपनी नियुक्ति का त्याग करने वाला माना जाना चाहिए" शब्द मौलिक अधिकार 18 में "कर्मचारी सरकारी नौकरी में नहीं रह जाता है" शब्दों के अनुरूप हैं। इसके अलावा विनियमन में "केवल सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से बहाल किया जा सकता है" वाक्यांश का आयात और प्रभाव, मौलिक अधिकार 18 में शुरुआती खंड "जब तक कि प्रांतीय सरकार, मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित नहीं करती" के समान ही है। संबंधित प्रावधान के आकर्षण के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में विनियमन और मौलिक अधिकार 18 के बीच अंतर, सिद्धांत रूप में कोई अंतर नहीं है।



हालांकि दोनों प्रावधानों द्वारा परिकल्पित अनुपस्थिति का परिणाम, अलग-अलग अवधि के लिए है, एक ही है, अर्थात् अनुपस्थित व्यक्ति की सेवा का "बलिदान" या "समाप्ति"। इस प्रकार वर्तमान मामला जय शंकर के मामले के अनुपात द्वारा शासित होगा।

24. उपर्युक्त दृष्टिकोण के मद्देनजर, असम फंडामेंटल और सब्सिडियरी रूल्स के नियम 18 की संवैधानिक वैधता के बारे में कोई अंतिम राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। यद्यपि यह नियम अस्पष्ट और अप्रिय भाषा में लिखा गया है, फिर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है और संविधान के अनुच्छेद 311(2) की आवश्यकता के अनुरूप इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। हालांकि, इससे सरकार को आत्मसंतुष्टि की भावना और यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि नियम के साथ सब कुछ ठीक है। जितनी जल्दी इसे उचित रूप से संशोधित किया जाएगा, उतना ही यह सभी संबंधितों के हित में बेहतर होगा।"

18. इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध बड़ा जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पर सी. सी. ए. नियम, 1966 के नियम 14 (1) में विचार किया गया है, जो इस प्रकार है:

"14. प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया-

(1) नियम 10 के खंड (v) से (ix) में कोई भी दंड लगाने का कोई आदेश, जहां तक संभव हो, इस नियम और नियम 15 में प्रदान की गई विधि से या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) द्वारा प्रदान की गई विधि से जांच किए जाने के बाद ही दिया जाएगा, जहां ऐसी जांच उस अधिनियम के तहत की जाती है।"

19. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं की गई है और ऐसी जांच के बिना, उसे दिनांक 01.06.2020 के आक्षेपित समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी-1) के तहत उसकी सेवा से केवल इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में खुलासा नहीं किया था

20. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने का सवाल है, यहां यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.5.2008 को "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था और उक्त घोषणा पत्र पहली बार उत्तरवादी-कृषि विभाग द्वारा अक्टूबर, 2011



(पृष्ठ संख्या 10) माह में उनसे मांगा गया था तथा दिनांक 24.09.2015 को अनुलग्नक आर-4 (पृष्ठ संख्या 21) के तहत दूसरा घोषणा पत्र मांगा गया था, जबकि नियुक्ति आदेश दिनांक 07.05.2008 (अनुलग्नक पी-2) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 (अनुलग्नक पी-4) के अनुसार ऐसा सत्यापन/घोषणा पत्र कर्मचारी से पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय ही भरवाया जाना चाहिए था।

21. वर्तमान मामले में, ऐसे घोषणा पत्र दिनांक 23.10.2011 (अनुलग्नक आर-1) और अन्य घोषणा पत्र दिनांक 24.09.2015 (अनुलग्नक आर-4) को उत्तरवादी - कृषि विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के उक्त सेवा में शामिल होने के तीन वर्ष बाद भरने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 116 के तहत पंजीकृत इशतगाशा संख्या 30/49/2001 अनुलग्नक पी-4 की अनुसूची 'ए' के अनुसार "नैतिक पतन" के अपराध के अंतर्गत नहीं आता है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध संख्या 155/2011 के तहत दण्डिक मामला 21.6.2011 को पंजीकृत किया गया था, अर्थात् 'ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी' के पद पर उनके शामिल होने के तीन वर्ष बाद, वह भी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद तथा उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि उनकी परिवीक्षा अवधि उनके शामिल होने के दो वर्ष बाद बढ़ाई गई थी।

22. पवन कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में याचिकाकर्ता ने 27.2.2011 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था, उसके बाद उसके द्वारा बाद में यानि 27.05.2014 को सत्यापन फॉर्म दाखिल किया गया, जिसमें उसके द्वारा सत्यापन फॉर्म के खंड 12(ए) और 12(बी) में कुछ जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई थी, याचिकाकर्ता के अनुसार उसने "नहीं" का उल्लेख किया और इस प्रकार उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में खुलासा नहीं किया था।

23. उपरोक्त मामले पवन कुमार (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"17. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक विशिष्ट कारक यह है कि वर्तमान मामले में आपराधिक परिवाद/एफआईआर आवेदन पत्र जमा करने के बाद दर्ज की गई थी। हमने आपराधिक मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा है और यह मामला मामूली प्रकृति का था और इसमें नैतिक पतन



शामिल नहीं था। इसके अलावा, कार्यवाही एक साफ बरी के साथ समाप्त हुई थी। जैसा कि अवतार सिंह बनाम भारत संघ 9 के कंडिका 38 से स्पष्ट है, सभी मामलों को एक निश्चित दायरे में नहीं रखा जा सकता है और अधिकारियों के पास एक हद तक लचीलापन और विवेक निहित है, जिसे चूक की प्रकृति और प्रकार सहित सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।"

24. वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आपराधिक मामला उसके सेवा में शामिल होने के बाद पंजीकृत किया गया था और इशतगाशा नैतिक पतन से जुड़े अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा, उक्त आपराधिक मामला पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर समाप्त हो गया है, इसलिए, सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना और औपचारिक विभागीय जांच किए बिना, प्रतिवादी-विभाग को याचिकाकर्ता को वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध उसकी सेवा से नहीं हटाना चाहिए था, इसलिए, उत्तरवादी सं 2 द्वारा पारित दिनांक 01.06.2020 का आदेश गंभीर विकृति और अवैधता से ग्रस्त है, इसलिए, इसे रद्द/ अपास्त किया जाना चाहिए।

25. जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा 15.07.2020 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश के संरक्षण में याचिकाकर्ता अभी भी उक्त पद पर काम कर रहा है, इसलिए इस आदेश के परिणामस्वरूप उसे 1.6.2020 के आदेश से पहले की स्थिति में उक्त पद पर काम करने की अनुमति दी जाए और बिना किसी बाधा के उसे सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

26. तदनुसार, रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है।

सही/-
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

